बृहस्पतिवार <u>12 जनवरी, 2012</u> पौष 28, 1933(शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा नौवां सत्र

अधिकृत विवरण (खण्ड-09 में अंक-67 एवं 71 सम्मिलित है)

> दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-9	वृहस्पतिवार 09 जनवरी, 2012 ∕पौष 28, 1933 (शक	5) अंक-70
क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र. सं. 41, 43, 45, 46 एवं 48)	3
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 42, 44, 47, 49 से 60)	41
4.	नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	158
5.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र	169
6.	उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	173
7.	विधेयकों पर विचार एवं पारित करना।	199
	1. दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012	
	2. दिल्ली सहकारी सिमितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2012	
9.	अल्पकालिक चर्चा (दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने के ल	206 ताभ के संबंध में)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-9 दिल्ली विधान सभा के नौवें सत्र का चौथा दिन

अंक-70

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

	^			• •		
1	ΩTT	Т	टगाचळ	चटाळा	П	
1 +	711	٧,	दयानन्द	अपारा	٠,	

- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- 9. चौ. भरत सिंह
- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव

- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी
- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह राणा
- 21. श्री करण सिंह तंवर
- 22. श्री कुलवंत राणा

- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत राम
- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी
- 41. श्री रमेश बिधूड़ी

42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल

2

- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्णा
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
- 58. श्री वीर सिंह धिंगान
- 59. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-9 वृहस्पतिवार 12 जनवरी, 2011/पौष 28, 1933 (शक)

अंक-66

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-41, श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष महोदस, आपकी अनुमित से प्रश्न संख्या 41 प्रस्तुत है :

- (क) क्या यह सत्य है कि जीटीबी अस्तपताल में और कुछ बैड बढ़ाए गए हैं,
- (ख) यदि हा, तो कुल कितने बैड बढ़ाए गए हैं,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अस्पताल को अभी और सुविधाजनक बनाया जाएगा,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक होने के पश्चात भी उक्त अस्पताल में अभी तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सी.टी. स्केन, मशीन आदि की भारी कमी है तथा एक दशक से ज्यादा समय से एमआरआई मशीन की

मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है तथा अस्पताल में वेंटीलेटर जैसे आवश्यक उपकरणों की भी भारी कमी है जिसके कारण बहुत से रोगियों की जान भी चली जाती है, और

(इ) यदि हाँ, तो क्या सरकार अस्पताल में उपरोक्त उपकरण मशीनों की कमी को पूरा करेगी. यदि हाँ तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमित से प्रश्न संख्या-41 का उत्तर प्रस्तुत है:-

- (क) जी हाँ।
- (ख) 500 बैड्।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्केन मशीन एवं वेंटीलेटर उपलब्ध है। एमआरआई मशीन अभी उपलब्ध नहीं है।
- (ड़) सरकार अस्पतालों को और बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उक्त अस्पताल में किनी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं और उनमें से कितनी काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, जीटीबी अस्पताल में 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, सात एक्सरे मशीन हैं, एक डिजीटल एक्सरे मशीन हैं, चार पोर्टेबल एक्सरे मशीन हैं। सभी कार्य कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य नहीं है कि इस अस्पताल की ओपीड़ी लगभग 6 हजार मरीजों की रोजाना है और करीब 17 सौ बैड इस अस्पताल में है। क्या इतने क्राउड को देखते हुए मंत्री जी ने जो उपकरण बताये हैं, 4 अल्ट्रासाउंड मशीन और 7 एक्सरे मशीन, क्या ये पर्याप्त हैं। यदि नहीं, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इस अस्पताल में और अल्ट्रा साउंड मशीन, एक्सरे और जो सीटी स्केन मशीनें हैं, क्या इनकी कमी को पूरा किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को जानकारी देना चाहूँगा कि एक सीटी स्केन मशीन लगाई जा रही है और वो कार्यरत हो चुकी है। इसके अलावा जिन मशीनों की जरूरत है अस्पताल की तरफ से रिक्यूजीशन आएगी तो वो स्वीकृत कर दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली में आबादी के मुताबिक अस्पतालों की कमी है। क्या आने वाले समय में कोई नया अस्पताल खोलने की योजना है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पीटल है, वहां पर 100 बैड बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही चाचा नेहरू हॉस्पीटल के अंदर भी बैड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हम कुछ जमीन त्रिलोकपुरी एरिया के अंदर भी लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वहां पर भी अस्पताल बन सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष सचदेवा।

श्री सुभाष सचदेवा: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से दो हिस्सों में सवाल एक ही दफा कर लेना चाहता हूँ। यह अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है कि लगभग सभी अस्पतालों में खराब हो जाती है और ठीक होती है और फिर तुरंत खराब हो जाती है। क्या यह रोगी कल्याण सिमित जो आपने बनाई है, यह उसको पावर दे दें कि किस कम्पनी से आती है क्या गारंटी है, कब तक ठीक हो जाएगी? इस चक्कर में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। कोई ऐसा सिस्टम इसमें डेवलप करें सवाल समझ लें और राय भी दे दें कि यह अल्ट्रासाउंड मशीन बाहर बहुत महंगे हैं। हमारा गरीब आदमी को सर्व करने का मकसद है। अल्ट्रासाउंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। लगभग सभी हॉस्पीटल्स में इन मशीनों की खराबी की बड़ी जबरदस्त शिकायत है और दूसरा सवाल जब हमारे पास आलरेडी हास्पीटल हैं, उसमें अगर हम कमरे बढ़ा सकते हैं, उसमें फेसिलिटीज बढ़ा सकते हैं तो ऐसे कौन कौन से हॉस्पीटल्स हैं जिनमें आप और बैड बढ़ाने जा रहे हैं और कमरे बनाने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विधायक जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जहां तक अल्ट्रासाउंड मशीन का सवाल है और जितनी भी मशीन हैं, हमने यह कहा कि इनको 5 साल की गारंटी पीरियड के अंदर रखा जाए, गारंटी या वारंटी जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हों और मेडिकल सुपिरटेंडेंट की यह जिम्मेदारी है कि हॉस्पीटल्स की जो भी मशीनें हैं उनको मेन्टेन रखें और जल्दी से जल्दी इनको ठीक करायें इसके लिए दोबारा से हम इनको इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे। जहाँ तक नम्बर ऑफ बैड इंक्रीज करने की बात है जैसा मैंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पीटल के अंदर, संजय गांधी हॉस्पीटल में, महर्षि हॉस्पीटल पूठ खुर्द के अंदर वहां पर सब के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं और राव तुलाराम हॉस्पीटल के अंदर, वहां पर बैडस इंक्रीज करने के लिए प्रयास जारी है। एमसीडी के प्लान सैंक्शन होनी है। उसके बाद वहाँ कार्य शुरु किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि जीटीबी हॉस्पीटल शाहदरा में कैंसर डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है। यदि यह सत्य है तो उस कैंसर डिपार्टमेंट के बैडस की कैपेसिटी कितनी है और उसमें हाल फिलहाल कितने मरीज एडिमट करने की व्यवस्था है। यदि नहीं, तो व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी और कितने बैड की की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कैंसर हॉस्पीटल इंडीपेंडेंट है। यह जीटीबी हॉस्पीटल के कैम्पस में जरूर है परन्तु इंडीपेंडेंट हॉस्पीटल है। इसमें अभी 100 बैड के करीब हैं जो वहां पर हैं और उसके अंदर फैसिलिटी और इंक्रीज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निरंतर कैंसर हॉस्पीटल के एमएस की भी यह

डिमांड आ रही है कि उनको एडीशनल स्पेस की जरूरत है। उसके लिए मैं किसी भी दिन राउंड करके जो स्पेस की प्रोबलम है उसको शार्ट आउट करेंगे। हम चाहेंगें कि वहाँ पर एडीशनल बैड और प्रोवाईड किए जायें, क्योंकि वहां पर वाकई में बहुत रश रहता है और ज्यादा प्रेशर उस हॉस्पीटल के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश शर्मा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माफ करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मदर का कैंसर का ईलाज भी वहीं हुआ था, डॉक्टर ग्रोवर थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैंसर का बहुत महंगा इलाज है। मैं माननीय मंत्री जी से मानवता के नाते यह पूछना चाहता हूँ और यह जानने का मुझे अधिकार है कि जैसे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पीटल में बैडस हैं हॉल फिलहाल में जीटीबी हॉस्पीटल कैंसर हॉस्पीटल शाहदरा में कितने मरीज एडिमट करने की व्यवस्था है या एडिमट करने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ट्रीटमेंट होता है। अगर व्यवस्था नहीं है तो कब तक कर दी जाएगी और कितने पेसेन्ट की की जाएगी? इस वक्त अगर सबसे महंगा इलाज है तो कैंसर का है, जो व्यक्ति उस दौर से गुजरा है उसको जानकारी है। माफ करना, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पीटल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, सीमापुरी के अंदर। हमने उनसे कहा था कि वहां पर वो चाहे जितने बैड लेना चाहें ले सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसको दो जगह पर रन नहीं कर पायेंगें और वहीं पर उनको एडीशनल जगह प्रोवाईट की जाए। मैंने जैसा बताया कि आलरेडी मैंने वहां पर राउंड का प्रोग्राम बनाया हुआ है। वहां के एमएस, जीटीबी और एमएस, डॉ. ग्रोवर को साथ

ले करके उस जगह का हम लोग फैसला करेंगें। अभी डॉ. ग्रोवर से यह भी कहा है कि जितनी और फैकल्टी उनको लेनी है, जिससे कि वो पेसेन्ट एडिमट करके जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको शुरु करें। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो प्रोसीजर्स भी वे जल्दी शुरु करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुकेश शर्मा जी, मुकेश जी मैं एक से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा हूँ आप दो सवाल पूछ चुके हैं?

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जीटीबी केंसर अस्पताल के मैडीकल सुप्रिंटेंडेंट डॉ. ग्रोवर की टीम का किसी विदेशी एनजीओ या संस्था के साथ अनुबंध हुआ था, जिसमें पैसा उस एनजीओ को खर्च करना था? सरकार का कोई पैसा भी नहीं लगना था, लेकिन एक एडिमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वह प्रोजेक्ट आज तक पास नहीं हुआ, यदि यह सत्य है तो वह प्रोजेक्ट कब तक पास हो जायेगा?

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, वास्तव में यह बहुत जरूरी मामला है और इतना बड़ा अस्पताल कहीं भी नहीं है, जहाँ गरीब लोग अपना इलाज करवा सकें।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, नसीब सिंह जी व धिंगान साहब, मुकेश जी ने जो पूछा है वह कैंसर अस्पताल के लिए पूछा है। आप जीटीबी की बात कर रहे हैं। आप बैठिए। ठीक है।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, इसमें एक कीमोथेरैपी होती है, जिसका खर्चा 25 से 30 हजार रूपये का होता है। सर, कैंसर का मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का मरीज उस इलाज का जो खर्चा है, उस खर्चे से डर कर पांच साल पहले मर जाता है। माफ करना,

में बार-बार इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आज किसी दुश्मन को भी कैंसर ना हो अध्यक्ष महोदय। यह इतनी खतरनाक बीमारी है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस जीटीबी शाहदरा में जो कैंसर डिपार्टमेंट है, उसमें राजीव गांधी अस्पताल की तरह फुल सुविधाएँ आप दिल्ली सरकार की कब तक शुरु कर देंगें?

10

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को जानकारी देना चाहता हूँ कि जितना आपका इंट्रस्ट है, हमारा भी उतना ही इंट्रस्ट है। यह चाहते हैं कि यह कैंसर अस्पताल तो विकसित हो, साथ में हम जहां और भी अस्पताल खोल सकें, खोलें। एलएनजेपी अस्पताल के अन्दर भी जो कैंसर विंग थी उसको अब हम लोगों ने शुरु किया है वहां की मशीनें भी काफी साल से बंद पड़ी थीं व्यवधान।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। एलएनजेपी अस्पताल की मंत्री जी को जानकारी नहीं है उनका नाम बदल दिया, now it is L.N.H. not L.N.J.P. 'लोकनायक जयप्रकाश' का नाम बदल कर इन्होंने 'लोकनायक अस्पताल' कर दिया and the Minister is misleading the House... व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी शार्ट करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं नहीं।

--अन्तरबाधाएँ--

श्री साहब सिंह चौहान : It should be decided. Sir, it should be decided. The Minister is here, the Government is here.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

--अन्तरबाधाएँ--

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। डॉ. साहब आप बैठिए। आपने जो एक बात कह दी उसका मंत्री जी स्पष्टीकरण दे देंगें, बार-बार मत बोलिए।

श्री तरिवन्दर मारवाह : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, जिस समय बैठक शुरु हो जाती है, Point of Order starts from the day, from that time.

--अन्तरबाधाएँ--

डॉ. हषवर्धन : अध्यक्ष जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : गंगवाल साहब, बैठ जाइए। डॉ. हर्षवर्धन जी।

डॉ. हर्षवर्धन : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ व्यवधान।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, ये कैंसर के मामले में सीरियस नहीं हैं . . . व्यवधान

श्री मालाराम गंगवाल : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री साहब सिंह चौहान : जब सदन शुरु होता है, तभी से यह स्टार्ट हो जाता है।

डॉ. हर्षवर्धन : अध्यक्ष जी, for the purpose of record, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल का औपचारिक नाम 'लोकनायक अस्पताल' ही है, हालांकि मंत्री जी ने

'लोकनायक जयप्रकाश' कह दिया तो यह बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है लेकिन the record should be set straight. इस अस्पताल का नाम बहुत साल पहले ही 'लोकनायक अस्पताल' रख दिया गया था और औपचारिक हर रिकार्ड में वहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जब मूर्ति लगाई गई थी वहां पर लिखा हुआ है कि यह लोकनायक अस्पताल है। उसके सारे बोर्ड भी लोकनायक अस्पताल के हैं इसलिए यह कोई कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। मंत्री जी ने जयप्रकाश जी का नाम भी ले दिया लेकिन यह मंत्री जी को एक्सैप्ट करना चाहिए कि इसका नाम क्या है?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। देखिए, इस प्रश्न पर इतनी कंट्रोवर्सी मत करिए और आप यदि यह कहेंगें तो मैं इस प्रश्न को समाप्त कर रहा हूँ। चौ. सुरेन्द्र कुमार प्रश्न रखेंगे।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 43 प्रस्तुत है-

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी अनाधिकृत फैक्ट्रियां चल रही हैं, और
- (ख) कितनी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई और कितनी सील की गई, विस्तृत सूची दी जाए?

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर इस प्रकार है-

(क व ख) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक हुए सर्वे में वर्ष 2011 में लगभग 50 फैक्ट्रियों का चालान किया जा चुका है तथा सर्वे अभी जारी है। सीलिंग की प्रक्रिया अभी इस क्षेत्र में आरम्भ नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : चौ. सुरेन्द्र कुमार।

चौ. सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अब भी 50 फैक्ट्रियां और बन रही हैं उनमें काम चल रहा है आपके एसडीएम और आपके कोई भी अधिकारी उनको नहीं देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि चौ. सुरेन्द्र कुमार जी काफी परेशान हैं, कि वहां पर इनके क्षेत्र में अनाधिकृत फैक्ट्रियां चल रही हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एमसीडी और डीपीसीसी दोनों को कहा गया है कि जो अनाधिकृत फैक्टियां हैं वे चाहे इनके इलाके में हो और चाहे दिल्ली के किसी इलाके में हों उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। फैक्ट्यों का लाइसेंस वह एमसीडी देती है। एमसीडी जब लाइसेंस देती है तो सब बातों को देखती है, वह अलग बात है कि लाइसेंस देते समय एमसीडी क्या करती है, क्या नहीं करती हैं। लेकिन 2009 से जो एमसीडी ने मुझे जानकारी दी है कि उन्होंने ऑन लाईन सिस्टम किया है और 2011 तक उन्होंने सारी दिल्ली में लगभग 12 हजार चालान किए हैं। उन्होंने नोटिस भी दिए हैं। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट इन दोनों के आदेश को देखते हुए हमारे मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई जिसमें एमसीडी, डीडीए और इण्डस्ट्री व डीपीसीसी सबको बुलाया गया। उस आदेश को देखते हुए एमसीडी को कहा गया कि एक्शन प्लान बनाएं और एमसीडी ने दो महीने का समय मांगा है। उस पर एक्शन प्लान बनाया रहा है। यदि उनका कोई उत्तर नहीं आया तो उसके बाद वे उनका बिजली पानी काटेंगें और बिजली पानी काटने के बाद वहां सीलिंग की जाएगी, क्योंकि एमसीडी ने जोनल लेवल पर कुछ ऐसी कमेटियां बनाई हैं जिस पर एक्शन हो सके। तो मेरा मानना है कि जो अनिधकृत फैक्ट्रियां चल रही हैं, विभिन्न इलाकों में उन पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरु की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलवंत राणा।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष जी, गोकुलपुर विधानसभा की तरह बाकी दिल्ली की विधान सभाओं में भी बहुत भारी मात्रा में अनाधिकृत फैक्ट्रियां कार्यरत हैं और प्रदूषित इकाईयां लगभग भारी मात्रा में हैं। मैंने भी इस बारे में दो वर्ष पहले शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने पिछले तीन वर्षों में कितनी फैक्ट्रियां सील कीं और नहीं की तो उसके पीछे क्या कारण थे और आगे फैक्ट्रियों को सील करने की आपकी क्या योजना है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न केवल गोकुलपुरी के लिए है और किसी क्षेत्र के बारे में नहीं है आप मत पूछिए। गोकुलपुरी के बारे में कोई सदस्य सवाल करना चाहता है तो करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोकुलपुर क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं और कौन कौन से गांवों में भी इस प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, उनका ब्यौरा देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक निश्चित एक क्षेत्र का प्रश्न है, मैं पूरे गोकुलपुर की बात करूँगा कौन से गांव की बात मेरी समझ से बाहर है और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एमसीडी ने सर्वे शुरु कर दिया है। एमसीडी को दो महीने का एक एक्शन प्लान दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। मैं आपको उसकी जानकारी अवश्य उपलब्ध कराऊँगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामलाल गग ...बिष्ट जी एक। गर्ग साहब।

श्री श्यामलाल गर्ग : व्यवधान ...

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह जी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये अनाधिकृत अनौथराइज्ड इण्डस्ट्रीज जहां चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत क्या कोई स्पेसिफिक आर्डर इश्यू किए हैं। जहां जहां ये अनौथराइज्ड फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कोई ऑर्डर पास किए हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने 7.5.2004 को ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया जो आवासीय क्षेत्र में या अनिधकृत क्षेत्र में चल रही है। उसकी उन्होंने एक तिथि 1 अगस्त, 1990 तय की, इसके बाद जहाँ पर भी इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए। उसी के दौरान आप जानते हैं कि रिएलोकेशन में बवाना में, नरेला में उन फैक्टरीज को वहां से स्थानान्तरित किया गया, जो सरकार की नीति बनी। उसके अंतर्गत लगभग 22 हजार फैक्ट्रियों के/उद्योगों को वहां लगाया गया। मैं जानता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया है, यह आपके विश्वास नगर का है और विश्वास नगर की तरफ से भी उच्च न्यायालय में एक रिट डाली गयी है, याचिका है, जिस पर अभी विचार हो रहा है। उसके बाद उसका निर्णय होगा, जिस पर सरकार अमल करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश शर्मा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सुरेन्द्र जी की निश्चित तौर पर अपनी दिक्कत होगी, इनको दिक्कतें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने बड़ा स्पेसिफिक कहा कि एमसीडी उनको सील करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की इण्डस्ट्रीज को जो पूरे तरीके से बसाये जाने का काम था, वह पूरा नहीं हुआ है और मैं फ्लोर पर कहला चाहता हूं। रमाकान्त जी आपका आदेश गोकुलपुरी तक सीमित रहे तो ठीक है। अगर ये हमारी विधानसभा में वेस्ट दिल्ली में आयातो हम इसका सख्ती से विरोध करेंगे। हम जब तक इण्डस्ट्रीज की पॉलिसी पूरे तरीके से दिल्ली में लागू नहीं होती, हम दिल्ली में अपने इलाके वेस्ट दिल्ली में किसी इण्डस्ट्रीज को उजड़ने नहीं देंगे। कोई किसी को रोजी दे न सके तो छीनने का अधिकार भी, माफ करना, नहीं होना चाहिए। भगवान इसमें बुरा मानता है। इसलिए आप इस अपने ऑर्डर को वापस लें। अगर ऐसा हुआ तो आपका एमडीएम जाये, आपकी एमसीडी जाये, डीसी जाये, मैं फ्लोर पर कह रहा हूँ कि मैं उसका सख्ती से विरोध करूँगा, यह मैं दर्ज करवा रहा हूँ।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत ही माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी जो करना चाहते हैं, करें। मैं उनके उस काम में किसी प्रकार की रूकावट नहीं बनूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हमारी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी है, 2010 में इसी विधान सभा में पास की गयी। अध्यक्ष महोदय, उस पॉलिसी को लागू करना सरकार का एक फर्ज है जो हमारा इण्डस्ट्री विभाग है, वो किसी भी उद्योग को बंद नहीं करता। हमारी सरकार, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि दिल्ली में उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये लेकिन इसके बाद वे उद्योग आम जनता के हित में नहीं है और आवासीय क्षेत्रों में चल रहे हैं और अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं तो उनको बंद करना जिससे पॉल्यूशन फैलता है, जिससे अन्य बीमारियां होती हैं, अभी आप कैन्सर की बात कर रहे थे। कैन्सर जैसा रोग इन्हीं फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है, मेरा मानना है।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने शब्द कहे हैं, मैं उसी पर हूँ कि जो नेगेटिव फैक्ट्रियाँ हैं।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि Master Plan लागू करेंगे या नहीं करेंगे। मिनिस्टर दायें बायें कर रहे हैं। He should be very much clear what is the policy, Industrial Policy in the industrial area व्यवधान Whether you will allow or not?

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज शौकीन जी। .. चौहान साहब बैठिए। दायें बायें होने दीजिए थोड़ा।

श्री मनोज शौकीन: अध्यक्ष महोदय, जैसे गोकुलपुरी में अनिधकृत फैक्ट्रिज चल रही हैं, इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी चल रही हैं। इसका समाधान सील करने से तो निकलने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर सैंकड़ों एकड़ जमीन डीएसआइडीसी ने ले रखी है। जहां पर फसल होती थी, आज वहां पर फसल नहीं हो रही है। सरकार कर क्या रही है? कभी कहती है कि हमारे पास जमीन नहीं है? जब उन्होंने वहां पर जमीन ले ली तो वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहिए। जल्दी जल्दी काम करके उनको वहां बसाओ।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डीएसआईडीसी ने जो जमीन ली है, इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए चाहे बापरोला है, चाहे रानीखेड़ा है, कंझावला है, और जो अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, हमने डीडीए को भी लिखा है कि जैसे 5 परसेंट दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र लगने चाहिए। उसके अंतर्गत हमने यहां तक डीडीए को लिखा है कि हमने लगभग 2200 एकड़ जमीन और अतिरिक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीडीए... डीएसआईडीसी अपनी जहां भी जमीन ले रही है, उस पर उद्योग लगाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष सचदेवा जी।.. ।

श्री सुभाष सचदेवा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद अपनी जोनल मीटिंग में इस मुद्दे को बार बार उठाया करते थे कि जो पॉल्यूटेड फैक्ट्रियाँ हैं, वह बंद होनी चाहिए। इन्होंने गोकुलपुर से हटाकर जब अपने जवाब में सारा का सारा सीलिंग का जिम्मा एमसीडी पर डाल दिया। यह दिल्ली सरकार है या मेरी समझ में बात नहीं आती कि जो बुराई है, वह तो डाल दो एमसीडी के ऊपर.. ये अध्यक्ष महोदय का विषय है... सर ये बीच में बोल रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि मेरा सवाल पूरा होने दें, सीलिंग की जिम्मेदारी तो एमसीडी की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत इण्डस्ट्री डिपार्टमैन्ट हैं, एक लघु उद्योग है, एक हैवी इण्डस्ट्री थी, एक पॉल्यूटेड है, ये अलग-अलग विषय हैं। जब फैसला दिल्ली सरकार ने करना है, सीलिंग होनी है, नहीं होनी है, एमसीडी को तो आप ऑर्डर करते हो कि इसको कर दो। ऑर्डर तो आपके कार्पोरेशन मानती है।

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा साहब। आपका प्रश्न गोकुलपुरी से संबंधित नहीं है। आपने पूरी दिल्ली ले ली। आप बैठ जाइये। चौ. मतीन अहमद जी।

. . . . व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आपका प्रश्न गोकुलपुरी से संबंधित नहीं है। आप बैठिए।

चौ. मतीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि...

अध्यक्ष महोदय: मतीन जी, आपका प्रश्न गोकुलपुरी से संबंधित है तो बोलिये नहीं तो रहने दीजिए। चौ. मतीन अहमद : जी अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ... से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये।

श्री सुभाष सचदेवा : . . . व्यवधान . . .

अध्यक्ष महोदय : वे फैक्टस दे रहे हैं। ... अच्छा बैठिए।

अध्यक्ष महोदय : मतीन जी प्रश्न पूछिए।

चौ. मतीन अहमद : ऑर्डर तो दिल्ली में कोर्ट का चलता है।

अध्यक्ष महोदय : बोलिये

श्री मतीन अहमद: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 24 इलाके इन्होंने Industrial इलाका घोषित करने थे। उसके बाद 12 इलाके और इन्होंने identify किए, सर्वे किया। तकरीबन वहां 70 या 80 परसेंट इंडस्ट्री है। उनके बारे में क्या पॉलिसी है? उस इलाके को इन्डस्ट्रियल इलाके घोषित कब तक करेंगें?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न गोकुलपुरी से संबंधित नहीं है। आप गोकुलपुरी के बारे में पूछिए। वहां के बारे में नहीं पूछना तो आप बैठ जाइये। बल्ली साहब

श्री हरशरण सिंह बल्ली: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे ये गोकुलपुरी की जो फैक्टरियां हैं। इनके लिए जब हमारी सरकार थी तब हमने एक स्कीम बनाई थी। उसमें लोगों से एप्लीकेशन मांगी थी। तब 54 हजार लोगों ने एप्लीकेशन्स दी थीं। उन सब को जगह देनी थी। उसके बाद हटाया जाना था। ऐसा एक ऐफिडेविट हमने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिया था। उनमें से कितने लोगों

को अब तक फैक्टरियां मिल गई और बाकियों को जगह क्यों नहीं दी जा रही? इसमें 3900 एकड़ जगह एक्वायर करनी थी, जिसमें से 2400 एकड़ हमने सन् 1998 से पहले एक्वायर कर ली थी। बाकी की जगह आज तक एक्वायर क्यों नहीं हुई? इसमें सरकार आज तक क्यों फेल है? इसके क्या कारण हैं? इस बारे में उद्योग मंत्री जी बतायें।

20

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय बल्ली जी का जो कहना है कि कितनी फैक्टरियों को वहां से स्थानान्तरित किया गया। बल्ली जी आप जानते हैं कि जिन....।

श्री हरशरण सिंह बल्ली: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो Eligible हैं जिनको सरकार ने eligible करार दे दिया। उनको आज 15 साल बीत जाने के बाद भी आपने जगह क्यों नहीं दी और जितनी जगह हमने 2400 एकड़ एक्वायर की थी। बाकी की जगह आज तक सरकार क्यों फेल हुई है कि वो जगह एक्वायर नहीं कर सकी। अगर एक्वायर नहीं कर सकी तो उसके क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, बल्ली जी आप स्वयं उद्योग मंत्री रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1996 से एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत यह हुआ कि जहां भी अनाधिकृत फैक्टरियां चल रही हैं, उनका reallocation किया जाए और reallocation में लोगों से यह मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। बल्ली जी यह काम कोई मामूली काम नहीं था। यह काम श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया है। यह बात मैं कहा सकता हूँ। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ा काम किया और reallocation में 22248 को इन्होंने वहां पर प्लॉट

दिए और उनके विकास के काम किए और जिससे कि वहां पर फैक्टरियां या उद्योग लग सकें और आज सिर्फ हमारे पास 189 उद्योग बचे हैं जिनको हमने उनको वहां पर reallocate करना है। इसलिए यह कहना कि वहां पर नहीं किए गए। 22000 बहुत बड़ी संख्या होती है। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो उद्योग लगे हैं। जिन प्लॉटों को दिया गया। कई प्लॉट वालों ने वहां पर नक्शे के मुताबिक या अभी तक वहां पर उन उद्योगों में काम करना शुरु नहीं किया। हम उनको कैन्सिल करके जो वेटिंग लिस्ट में हैं। उनको देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल चौधरी।

. अन्तरबाधाएँ

अध्यक्ष महोदय: बल्ली जी हो गया। अब आप बैठिए। बल्ली जी, आपका प्रश्न गोकुलपुरी से संबंद्ध न होते हुए भी आपको उद्योग मंत्री जी से जवाब दिलवाया है। वहीं काफी है। हो गया, अब आप बैठिए। अनिल चौधरी जी।

श्री अनिल चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोकुलपुरी जैसे और भी बहुत सारे अनिधकृत औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि वहां से बहुत सारे लोगों को प्लॉट दिए गए थे? बहुत सारे लोग प्लॉट लेने के बावजूद भी वहां से आज तक वहां औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नहीं गए हैं। यदि नहीं गए हैं तो उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही हैं? दूसरा, उद्योग मंत्री जी ने कहा कि अभी मुकेश शर्मा जी के सवाल का जवाब दिया था कि बहुत सारी पॉल्यूशन वाली इकाईयाँ हैं, जिनको हटाना बहुत आवश्यक है। क्या अभी ऐसी बहुत सारी अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयां नहीं चल रही हैं, जहां पर पॉल्यूशन फैल रहा है? आपने कहा कि

एम.सी.डी. लाइसेंस देती है और वहां पर एमसीडी सीलिंग का कार्य करेगी। मैं उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि जिन लोगों को प्लॉट मिल गए हैं और वो अभी तक स्थानांतरित नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी। जो पॉल्यूशन फैलाने वाली इकाइयाँ हैं। उनके खिलाफ क्या आपका डिपार्टमेंट या पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं? उसके बारे में जरा प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ हमारा इंडस्ट्री विभाग किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं देता। हमारा काम acknowledgement का है। हमार काम, हम उसको सिर्फ उसके बाद हम विभिन्न जो विभाग हैं। हम उनको आदेश देते हैं। एमसीडी फैक्टरी का लाइसेंस देता है वो चाहे अनिधकृत कॉलोनी में है या चाहे अधिकृत कॉलोरी में है। या तो एमसीडी करता है या D.P.C.C. Pollution को वो देखता है। इसलिए जहां तक बन्द करने का सवाल है, वो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट किसी इन्डस्ट्री को बन्द नहीं करता है। हम इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्वयं एमसीडी को कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए और उन्होंने दो महीने का एक्शन प्लान बनाकर दिया है। उसके मुताबिक जितनी भी ऐसी जिनको reallocation में मिल गया है और जा वहां पर काम कर रहे हैं। उनकी जांच चल रही है। उनको सील करने की पूरी योजना बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रविन्द्र नाथ बंसल।

श्री रिवन्द्र नाथ बंसल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उद्योग मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा कि इन्होंने डीडीए को 5 प्रतिशत जमीन इन्डस्ट्री लगाने के लिए दी जाए। यह रिक्वेस्ट की है। लेकिन जो ऑलरेडी जमीन डिपार्टमेंट के पास है। ऐसी कितने हजार एकड़ जमीन जिसका डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं किया, कितने सालों से ये जगह डिपार्टमेंट के पास पड़ी है और जो relocation के लिए Industrial area बनाए गए हैं। उनका infrastructure improve करने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। वहां पर बहुत बुरी हालत है।

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, टोटल कितनी जमीन है, वो चाहे कंझावला में है, चाहे रानीखेडा में है, चाहे बवाना में है, चाहे नरेला में है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रविन्द्र नाथ बंसल।

श्री रिवन्द्र नाथ बंसल: अध्यक्ष जी, मैं उद्योग मंत्री जी से यह पूछ रहा हूँ कि आपने डवलप नहीं किया है और लोगों को जगह नहीं दी है। ऐसी जगह सालों से आपके पास पड़ी हुई है। वहां पर unauthorized industry चल रही है। उनको जगह की जरूरत है। डिपार्टमेंट के पास जगह पड़ी हुई है। आप लोगों को प्लॉट क्यों नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी यह जो reallocation scheme है। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी अपनी ऐसी व्यक्तिगत राय है और मैं चाहूंगा कि इस पर हम जरूर विचार करें, आप जो बात कहना चाहते हैं। Reallocation scheme में हम ऐसा समझते हैं और सरकार भी, मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें एक ऐसी उसकी सोच है कि अगर हम reallocate करते चले जायेंगे तो इलाकों में अनाधिकृत जो फैक्टरियां हैं वो और लगती चली जायेंगी। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम इस पर पुन: समीक्षा कर रहे हैं कि क्या हम

reallocation स्कीम को लागू करते चले जायें और जितना अनाधिकृत फैक्टरियां हैं क्योंकि सर्वे चल रहा है। इसकी टोटल संख्या हमारे पास कुछ आ जाए कि कितनी किस किस इलाके में अनाधिकृत फैक्टरियां चल रही हैं। हमें पता चल जाए। उसके बाद सरकार निर्णय करेगी कि हमें कौन सी स्कीम लागू करनी है ताकि जो जमीन खाली पड़ी है। उन फैक्टरियों को पुन: reallocate किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 45 श्री ओ.पी. बब्बर।

श्री ओ.पी. बब्बर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गुरु गोविंद सिंह अस्पताल रघुवीर नगर के बाल चिकित्सा ब्लॉक हेतु एमसीडी से कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है,
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है,
- (ग) क्षेत्र के लोगों के हितार्थ उक्त अस्पताल को अपग्रेड करने में कितना समय लगेगा।
- (घ) क्या गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर के सामने की भूमि नर्सिंग स्कूल तथा स्टाफ क्वार्टर बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है, और
- (ड़) तिलक नगर कॉलोनी अस्पताल, नई दिल्ली 18 के निर्माण हेतु क्या वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 45 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी नहीं।

- (ख और ग) उपरोक्त अस्पताल में 150 बिस्तर के ब्लॉक निर्माण हेतु नक्शा दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
- (घ) जी हा, केवल नर्सिंग स्कूल एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालय तथा कार्ऊसिल बनाने का प्रस्ताव है।
- (ड्) जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बब्बर साहब।

श्री ओ.पी. बब्बर: अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि एक तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ था, ग, क्षेत्र के लोगों को अपग्रेड करने के लिए, इसका उत्तर नहीं आया। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि नगर निगम को जो आपने नक्शे भेजे थे वो कब तक वहां से स्वीकृत होकर के आ जाएंगे तो इसकी कब तक संभावना है? तिलक नगर अस्पताल में जो कांट्रेक्टर को वर्क भी अलॉट हो गया तो इसको भी डेढ साल हो गया किंतु बार बार यह कहा जाता है कि वन विभाग से अनापत्ति न आने से कार्य को शुरु नहीं किया जा सकता। तो यह कब तक कार्य शुरु किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमित से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि डेढ सौ बिस्तर का जो ब्लॉक बनना है, उसमें जो टाऊन प्लानिंग विभाग है उसके पास, हमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि इसमें एक ईटीपी बनाया गया था, जो सेमी पर्मानेंट स्ट्रक्चर बनाए गये थे, उसको हटाने के लिए वो कह रहे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है बिल्डिंग को हटाए बिना ही एडजस्ट कर लें, अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें इटीपी हटाना पड़ेगा, इसके कारण हमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। हम इसको लगातार

फॉलोअप कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इसका नक्शा पास हो और डेढ बन पाए। जहां तक तिलक नगर का सवाल है, कालोनी हास्पीटल, एमसीडी का है अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी हैल्प करने के लिए तैयार हैं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है वो किटंग की दिक्कत है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बब्बर जी।

श्री ओ.पी. बब्बर: मंत्री जी वो जो जमीन खाली पड़ी है, वहां पर इन्क्रोचमेंट हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर झाड़ वगैरह लगाने का प्रबंध तो कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: जो जमीन खाली पड़ी है, उसके अंदर काऊंसिल्स का ऑफिस बनाने का हमारा प्लॉन है। उसका नक्शा भी पीडब्ल्यूडी से एमसीडी को भिजवाया जा रहा है। यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि दिल्ली निर्संग काऊंसिल, निर्संग कॉलेज, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल, बोर्ड ऑफ हौम्योपैथिक मेडिसिन, दिल्ली फार्मेसी काऊंसिल, दिल्ली फिजीयोथैरेपी काऊंसिल, दिल्ली डेंटल काऊंसिल, डायरेटरोट आफ फैमिली वेलफेयर, चीफ डिस्ट्रीक मेडिकल ऑफिसर, प्रिवींसन ऑफ अल्टरेशन, इमरजेंसी हैल्प सर्विसेस, दिल्ली स्टेट हैल्थ मिशन, ड्रग कंट्रोलर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डीएचएस। ये सारे ऑफिस वहां शिफ्ट होंगें, जहाँ तक उस जमीन की देखभाल की बात है उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि वहां पर कोई भी इक्रोचमेंट का ध्यान रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्यामलाल गर्ग जी।

श्री श्याम लाल गर्ग: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बब्बर जी जो तिलक नगर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बारे में बात की हैं, क्या इसमें फायर ब्रिगेड से संबंधित या इस प्रकार के और ऐसे अस्पताल जो दस साल से सरकार चला रही है, उनमें फायर ब्रिगेड से संबंधित सारे इक्यूपमेंट हो गये हैं और फायर ब्रिगेड से एनओसी ले लिया गया है और विशेष रूप से कलकत्ता की उस घटना के बाद, मेरी जापे जानकारी है, शायद दस दस साल से हॉस्पीटल आप चला रहे हैं, उनमें आज तक भी फायर ब्रिगेड के इक्यूपमेंट पूरे नहीं है। कलकत्ता की दुर्घटना के बाद भी हम कोई लेसन नहीं ले पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। देखिये वैसे तो ये केवल गुरु गोविन्द हास्पीटल और तिलक नगर कॉलोनी हास्पीटल का सवाल है।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि ये इस तरह के और जो हॉस्पीटल हैं, यह मैंने साथ में जोड़ा है, इसमें क्या बुराई है, अगर मंत्री यह चाहते हैं कि कलकत्ता जैसी दुर्घटना दुबारा घटे तो मत जवाब दें, हमें क्या दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब यह कलकत्ता में हादसा हुआ है। उसके बाद हमने फायर सर्विस विभाग से मीटिंग की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ सारा सर्वे किया है। उसकी रिपोर्ट भी भेजी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की है कि एक मीटिंग के लिए और जो भी हास्पीटल में किमयां पाई गयीं हैं, उनको दूर किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय भी दे दिया है। हम मीटिंग करके, जितने भी हॉस्पीटल हैं, उनके अंदर फायर से संबंधित जो भी कमी है, उसको ठीक कराएंगे।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, यह इतनी गंभीर समस्या है, इनसे समय तो पूछिए कि कितने समय में इसको पूरा कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्याम लाल गर्ग जी, क्या आप बतला सकते हैं कि कितने हॉस्पीटल हैं।

श्री श्याम लाल गर्ग: मुझे दो हॉस्पीटल के बारे में जानकारी है, जो दस साल से चल रहे हैं और कोई इंतजाम इनका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग साहब इतने सारे हॉस्पीटल हैं अंतरबाधा।

श्री श्याम लाल गर्ग : अध्यक्ष जी, कोई दुर्घटना हो गयी इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, यह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: टाइम बाउंड कुछ नहीं हो सकता। इतने हॉस्पीटलों के लिए, जल्दी से जल्दी कराया जायेगा, आपने ध्यान दिलाया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज शौकीन. . . . अंतरबाधा। मंत्री जी ने ही जवाब दिया है। बैठिए। मनोज शौकीन जी।

श्री मनोज शौकीन: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्योंकि कई जगह, चाहे नई दिल्ली हो, जनकपुरी हो, हमारी, सावदा जे.जे. कालोनी, वहां पर बसा दी। उस कालोनी में उपचार की, अस्पताल की कोई भी सुविधा नहीं है। उसके अंदर जमीन है जो हॉस्पीटल खोलने के लिए है। क्या ऐसी निकट भविष्य में कोई योजना है कि कोई हास्पीटल वहां पर खोला जाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो ये सावदा घेवरा की बात कह रहे हैं तो उसके आसपास अगर जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध होगी तो जरूर अस्पताल खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री मनोज शौकीन: मंत्री जी, यह ऑन रिकार्ड है, वहां पर प्लॉट छोड़ा गया हॉस्पीटल का। सरकार की बसाई हुई कालोनी है, कोई अनिधकृत बस्ती नहीं है। झुग्गी झोपड़ी तो एशटैबलिश की यहां से वहां उठाकर, उनके लिए कह रहा हूँ। गांव में तो आज तक अस्पताल खुला ही नहीं 25 मीटर दूर तक।

स्वास्थ्य मंत्री: मनोज जी जो आपने बात कही है, मैं यही कहा रहा हूँ कि इसको एग्जामिन करके, हम लोग देखेंगे और वो जे जे क्लस्टर गया भी ईस्ट दिल्ली से, ठोकर नम्बर आठ से गया है, इसकी मुझे जानकारी है और मैं वहां पर होकर के भी आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न 46 देवेन्द्र यादव जी, प्रस्तुत कीजिए।

श्री देवेंद्र यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 46 प्रस्तुत है :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बादली विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रसूति गृह/जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं, और
- (ख) कितनी आबादी में एक प्रसूति गृह/जच्चा बच्चा केन्द्र खोला जाता है और इनमें महिलाओं के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, विस्तृत जानकारी दें?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 46 का उत्तर प्रस्तुत है :

- (क) बादली विधान सभा क्षेत्र में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र एवं एक प्रसूति गृह हैदरपुर में कार्यरत है,
- (ख) दो लाख से ऊपर की आबादी के लिए प्रसूति गृह तथा पचास हजार की आबादी के लिए जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रावधान है, इनमें महिलाओं के लिए निम्न सुविधाएं प्रसूति गृह व जच्चा-बच्चा केंद्र में उपलब्ध करवाई जाती है:
 - गर्भवती महिलाओं की जाँच, टीकाकरण एंव उपचार।
 - * 05 से साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण (केन्द्र एवं क्षेत्र में)
 - * परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों की सलाह एवं उपलब्धि।
 - * किशोर एवं किशोरियों की जाँच एवं सलाह।
 - * थैलेसीमिया की जाँच एवं सलाह।
 - * इसके अतिरिक्त, अन्य अभियान जैसे पल्स पोलिया, मोतियाबिंद मुक्ति अभियान तथा एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
 - * उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त प्रसूति गृह में प्रसूति सुविधाएं व एम.टी.पी. सुविधाएं भी उपलब्ध होती है।

अध्यक्ष महोदय : देवेंद्र जी।

श्री देवेंद्र यादव : अध्यक्ष जी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि लगभग दो लाख की आबादी के लिए प्रसूति गृह तथा 50 हजार की आबादी के लिए जच्चा-बच्चउ केंद्र खोलने का प्रावधान है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर ऐसी कालोनियां हैं, जहाँ पर रिसैटलमेंट कालोनी और अनआथोराइज्ड कालोनी ही हैं और लगभग चार लाख की आबादी पर लगभग आठ जच्चा-बच्चा केन्द्र होने चाहिए। वहाँ मात्र एक ही है। जो प्रसूतिगृह की बात माननीय मंत्री जी ने बताई। मैं बताना चाहता हूँ कि हैदरपुर, बादली विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता है। लिहाजा एक भी, प्रसूति गृह पूरे बादली विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी योजना है, जहाँ कि बहुत ही निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। जिनको वाकई सुविधाओं की जरूरत है, वहाँ पर खोलने की कोई प्लानिंग है यदि नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा। इनकी कॉन्स्टिट्एंसी में ही जो है बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पड़ता है। जहाँगीर पुरी के अंदर जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल हैं, जहाँ सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इसके अलावा बुराड़ी हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम शुभारंभ करें. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसके पास होकर बोलिये, आवाज़ ऊँची हो जाये थोड़ी, आवाज़ कम है।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा कि आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है जो कि 100 बेडे हॉस्पिटल हैं, जिसके अंदर हम और सुविधाएँ भी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ-साथ बुराड़ी के अंदर भी जल्दी से हॉस्पिटल शुरू करने का हमारा प्लान है। हमारी कोशिश है

कि आने वाले दो-तीन महीने के अंदर उस अस्पताल को भी शुरू कर दे जो कि 200 बेड का हॉस्पिटल होगा और जिससे कि आपके क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। अगर जो और जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं यह बेसिकली एम.सी.डी. द्वारा खोले जाते हैं, अगर जो आप महसूस करते हैं कि इसके अलावा भी और कोई जरूरत है तो उसके लिए हम जरूर एग्जामिन करवायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बाबू जगजीवन राम का इन्होंने जिक्र किया और जिसको अपग्रेड करने की भी प्लानिंग है जिसमें 50 बेड और भी जुड़ जायेंगे उसके लिए धन्यवाद करता हूँ लेकिन अध्यक्ष जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इन सब सुविधाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी.टी. रोड बीच में पड़ता है, रिंग रोड बीच में पड़ता है उसको क्रोस कर गरीब लोगों को असुविधा होती है कि हॉस्पिटल तक पहुँचने की और मैं कोई ज्यादा कुछ नहीं माँग रहा सर। आपकी गाइडलाइंस है कि 50 हजार के ऊपर हम एक केन्द्र खोल सकते हैं तो जहाँ 8 या 9 होने चाहिए, वहाँ मात्र एक हो तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही प्लानिंग पार्ट पर थोड़ी सी समस्या है इस ओर ध्याद दिया जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी जितने भी प्रसूति गृह खोले जा सकते हों, वो खुलवाये जाये और जच्चा–बच्चा जाँच केन्द्र भी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री जयभगवान अग्रवाल जी।

श्री जयभगवान अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी चाहूँगा कि क्या बादली विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वर्ष में कोई ऐसा हॉस्पिटल भी है जिसका शिलान्यास तो हुआ है और निर्माण कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है?

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अगर जो ऐसा कुछ हुआ है तो आप बता दें और उसके अंदर कार्य नहीं शुरू हुआ है या कोई दिक्कत है तो वो भी बता दें।

श्री जयभगवान अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब आपने शिलान्यास किया था। लगभग सवा तीन वर्ष पूर्व और आज तक शिलान्यास तक सीमित रहा है बल्कि पत्थर भी चोरी हो गया है, जिस पर शिलान्यास हुआ था, आज तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, यह बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ शिलान्यास हुआ है। कई वर्ष हो गए हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई करवाइये और कोशिश करिये क्योंकि जी.टी. रोड है ट्रोमा सेंटर भी उस हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसका शिलान्यास हो चुका है।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैंने एक बात कही कि बुराड़ी हॉस्पिटल की शायद आप बात कर रहे हैं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसपुर, जी.टी. रोड बादली के पास है।

श्री जयभगवान अग्रवाल : सिरसपुर गाँव में। बादली विधान सभा क्षेत्र में ही है।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं उसकी जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो ग्राम सभा की लैंड के ऊपर है, सिरसपुर हॉस्पिटल की जो बात चल रही है। वो ग्राम सभा की लैंड पर है। हमने उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए डी.डी.ए. को कहा है। मैं वी.सी.डी.डी.ए. से मिला भी था। मैंने उनसे यह कहा है कि इसका लैंड यूज चेंज कर दे। उसके बाद हम उसको टेक-अप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: डॉक्टर साहब उसका जमीन का कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसके साथ में जो जमीन है, उस पर कोई केस है लेकिन जिस जगह पर आपका हॉस्पिटल प्रस्तावित है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं यह चाहूँगा कि देवेन्द्र जी और अग्रवाल जी के साथ जाकर आप एक बार विजिट कर ले तो पूरा नक्शा आपके दिमाग में आ जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपने उस समय शिलान्यास किया था। उस समय उसका लैंड यूज certain हो गया था। उसके बाद डी. डी.ए. ने कुछ उसमें चेंजेज किए हैं। इसलिए हमें दोबारा जाना पड़ा है। डी.डी.ए. के पास हमने यह कहा है कि यह टोटल एरिया जो है क्योंकि उन्होंने साथ का एरिया भी उसमें मिलाकर कुछ सड़क वगैरह निकलनी थी। इसलिए उसका डिस्प्यूट पड़ा हुआ था। उसको हम sort-out करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि ऐसा है तो आप उसका कर लीजिए। जैसा ठीक समझे।

श्री आसिफ मोहम्मद खान: अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉस्टिट्युएंसी में सिरता विहार है। आज से साढ़े तीन साल पहले एक हॉस्पिटल का inauguration हुआ है। शिलान्यास, foundation-stone जब रामवीर सिंह बिधूड़ी जी वहाँ एम.एल.ए. थे तो वालिया जी वहाँ पर गए थे, आज भी पत्थर लगा हुआ है। लगभग चार साल होने जा रहे हैं और सिर्फ पत्थर ही लगा हुआ है। डी.डी.ए. की तरफ से वो एलोकेशन है हॉस्पिटल के लिए स्पेशली, हॉस्पिटल के लिए डी.डी.ए. ने वो प्लॉट रिजर्व कर रखा है, कोई प्लॉट पर डिस्प्यूट नहीं है लेकिन चार साल होने जा रहे हैं। अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है शोएब जी।

श्री शोएब इकबाल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मैंने दो दिन पहले एल. जी. अभिभाषण के ऊपर आपके सामने एक बात आपकी गैर मौजूदगी में मैंने अध्यक्ष महोदय रखी थी कि दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा व्यापार जो हेल्थ के ऊपर जो सैक्स बढ़ाने के ऊपर चल रहा है। जिसकी आज भी बहुत सारे अखबारात के अंदर, मैं लेकर आया हुआ हूँ अखबारात, उसके अंदर एड आ रहे हैं बिना डॉक्टर्स के रिकमंडेशन के वो बाजार के अंदर बिक रही हैं जिससे हार्ट अटैक, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किडिनयाँ फेल हो रही हैं और यह नहीं उसके अलावा बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ पूरे जिस्म का जो है, पूरे जिस्म को झंझाल करा जा रहा है और धड़ल्ले से वो बाजारों के अंदर नीम हकीम, नीम वैद्य ये बेचे चले जो रहे हैं। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर मैं जवाब दूँगा हाउस के अंदर, मुख्यमंत्रर साहिबा को भी मैंने कहा था और यही नहीं है इससे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि आदमी वो अपनी पावरफुल streangth बढ़ाकर उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वूमेन्स के ऊपर वो नाकाबिल ए बर्दाश्त है, अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के अंदर यह हकीकत बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, कोई छोटी चीज नहीं, किसी भी अखबार में चले जाइये, टी.वी. पर चले जाइये उनको लाइसेंस कौन दे रहा है, कौन रिकमंड कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछ लीजिये ना, इतना लम्बा मत करिये।

श्री शोएब इकबाल: सवाल अध्यक्ष महोदय यही मैंने इनसे कहा था कि आप उस पर बैन लगाइये उसका रिकमंडेशन कौन कर रहा है, कौन सा डॉक्टर उसको रिकमंड कर रहा है? सवाल यह है, आप जवाब दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, जवाब देना चाहेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय शोएब भाई ने जो बात कही है वो और किसी ने नहीं कही है। इसलिए इस बात पर जो है मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ और मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर से बात की थी। अल्टीमेटली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से हम कहने वाले हैं कि वो इस पर एक्शन करे। जो पेपर्स में ऐसी एडवरटाइजमेंट आ रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

36

अध्यक्ष महोदय: शोएब इकबाल साहब, डॉक्टर साहब ने पहली बार मुस्कुराकर के जवाब दिया है और आप उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 48।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 48 प्रस्तुत है।

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्तमान में प्रत्येक श्रेणी के कार्ड में कितनी वस्तुएँ व तेल कितना-कितना मिलता है;
- (ख) प्रत्येक कार्ड पर श्रेणी के अनुसार व यूनिट के अनुसार सरकार से कितनी मात्रा में उक्त वस्तुएं दी जाती हैं;
- (ग) प्रत्येक श्रेणी के दिल्ली में कितने-कितने कार्ड हैं;
- (घ) अभी किस-किसी श्रेणी के कितने कार्ड हैं जिन पर कोई वस्तु जारी नहीं है; और
- (ङ) नए राशन कार्ड बनाने की औपचारिकताएँ क्या हैं?

कर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 48 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) सूची 'क' संलग्न है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 37 पौष 28, 1933 (शक)

(ख) उपरोक्त सूची 'क' के अनुसार।

(ग) ए.पी.एल. (स्टैम्प्ड) - 11,53,102

ए.पी.एल. (जे.आर.सी.) - 40,222

ए.पी.एल. (आर.सी.आर.सी.) - 2,21,275

बी.पी.एल. - 2,61,444

ए.ए.वाई. - 1,03,053

(घ) ए.पी.एल. (अन स्टैम्प्ड) कार्डों पर राशन नहीं मिल रहा है।

(ङ) नए राशन कार्ड बनाने की औपचारिकताएँ संलग्नक 'ख' में दी गई हैं—

सूची 'क'

	ए.पी.एल.	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	ए.ए.वाई	ए.पी.एल.
	(स्टैम्प्ड)	(जे.आर.सी.)		(3	गर.सी.आर.सी.)
गेहूँ	18 किलो	25 किलो	24 किलो (नियमित)11 किलो (अतिरिक्त)	25 किलो	25 किलो
चावल	4 किलो	10 किलो	10 किलो (नियमित) 4 किलो (अतिरिक्त)	10 किलो	10 किलो
चीनी	_	_	6 किलो	6 किलो	_
मिट्टी का तेल	_	10.50 ली.	10.50 लीटर	10.50 ली.	_

संलग्नक 'ख'

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से विशेष रूप से उल्लिखित खाद्य पदार्थों जैसे गेहूँ, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेलज का वितरण शासन द्वारा अनुमोदित मूलयों पर किया जाता है। ये वस्तुयें सार्वजिनक वितरण प्रणाली के निकासों के माध्यम से उपभोक्ता कार्ड (पत्रक) धारकों को वितरित की जाती है।

नये ए.पी.एल. कार्ड कैसे प्राप्त करें?

- रसद-पत्रक (राशन कार्ड) किसी भी भारतीय को जो दिल्ली का स्थायी निवासी हो जारी किया जाता है।
- 2. नये पटलीकृत (लैमिनेटिड), परिकलित (कम्प्यूटराइजड) खाद्य पत्रक (फूड कार्ड), अनुलिपि खाद्य पत्रक (डुप्लिकेट फूड कार्ड) परिवर्धन (एडीशन) विलोपन (डिलीशन), परिवार के मुखिया का परिवर्तन, निवास परिवर्तन, नाम-परिवर्तन, सा.वि.प्र. का निकास परिवर्तन, अवयस्क से वयस्क में परिवर्तन तथा खाद्य-पत्रक का समर्पण या उसे दो भागों में बांटने आदि के बारे में प्रार्थना-पत्र मण्डल कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे। नये परिकलित कार्ड जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र केवल परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य जिसका नाम खाद्य-पत्रक में सम्मिलित है या परिवार के मुखिया द्वारा अधिकृत किसी भी प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

- 3. खाद्य-पत्रक जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण अपेक्षित है :
 - (अ) सम्पूरित (completed) प्रार्थना-पत्र।
 - (ब) परिवार के मुखिया के दो छायाचित्र (photographs) जिसमें से एक किसी राजपित्रत अधिकारी/क्षेत्रीय विधायक/िनगम-पार्षद द्वारा सत्यापित होकर प्रार्थना-पत्र से संलग्न हो तथा दूसरा छायाचित्र प्रार्थना-पत्र पर चिपकाया गया हो।
 - (स) यदि उपर्युक्त (ब) उपलब्ध नहीं है तो अनुलग्नक I के अनुसार परगनाधिकारी/अधिकृत लेख्य प्रमाणक (Notary Public)/शपथ आयुक्त (Oath Commissioner) से शपथ-पत्र की मूल प्रति।

तथा

- 4. निम्नलिखित में से कोई एक लिखित प्रमाण :
 - (अ) चुनाव पहचान-पत्र के छायाचित्र की प्रति अथवा अन्य कोई पहचान पत्र जो सरकारी माध्यम द्वारा जारी किया गया हो, जैसे कि वाहन चालक अनुज्ञापत्र (Driving Licence) नौकरी पहचान पत्र।
 - (ब) बिजली/पानी का बिज, बैंक पास बुक जो परिवार के मुखिया (HOF) या किसी अन्य सदस्य के नाम हो और जो प्रपत्र (Form) में सम्मिलित हो।
 - (स) मकान मालिक के संदर्भ में :
 - (i) परिवार के मुखिया के नाम पंजीकरण विलेख (दस्तावेज) अथवा परिवार के मुखिया के नाम मकान के खरीद संबंधी आवंटन-पत्र,

अथवा

- (ii) मुखिया के नाम मकान के खरीद के संबंध में मुख्तारनामा (power of attorney) अथवा
- (iii) गृह-कर रसीद की सत्यापित फोटोकॉपी।
- (द) किरायेदार के संदर्भ में :
 - (i) मकान-मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
 - (ii) परिवार के मुखिया के नाम किराये की रसीद,
 - (iii) मकान मालिक के राशन कार्ड की फोटोकॉपी, अथवा गृह-स्वामित्व के प्रमाण की फोटोकॉपी।

यदि मकान मालिक अनापत्ति पत्र (NOC) नहीं देता और उपर्युक्त क्र.सं. 4 में उल्लिखित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्रीय निरीक्षक संबंधित व्यक्ति (यों) के उस मकान में निवास के संबंध में जैसा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित है किन्हीं दो पड़ोसियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उनके राशन कार्ड की प्रति संलग्न करेगा।

5. नये ग.रे.ऊ. (ए.पी.एल.) कार्ड/अनुलिपि कार्ड या ग.रे.ऊ. (ए.पी.एल.) कार्ड में संशोधन आदि से संबंधित दफ्तर की कार्यवाही के लिए 25 रुपये की शुल्क राशि अदेय होगी जो लौटाई नहीं जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: चौहान साहब, प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है। आप बैठिए। समय आपका साथ नहीं दे रहा। समय अनुकूल नहीं है।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, इसमें एपीएल कार्ड जिनको अभी राशन नहीं मिल रहा है, 1559530 कार्ड ऐसे हैं जिनपर राशन नहीं दे रहे हैं। आखिर यह नीति कब से जैसे पहलों पर स्टेम्प लगाई है, कब तक होगा? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जो दुकानों पर कोटा फिक्स करते हैं, तो ये 25 किलो एपीएल पर देते हैं, 24 बीपीएल पर, इस तरह से कोटा फिक्स करते हैं। लेकिन जो राशन दिया जाता है उस कोटे को इससे कम आप देते हैं जितना बनता है। उतना देते हैं जो कम बनता है और उनकी जो रसीद कटती है, उतनी कटती है, जितना कि दिया जाना चाहिए और वो राशन पहले ही बंट जाता है। बाकी हजारों राशन कार्ड ऐसे रह जाते हैं जिनको राशन मिलता नहीं है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्री विपिन शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित खाद्य विभाग द्वारा उनके विभाग के मास्टर रोस्टर अनुसार ए.पी.एल. कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड व ए.ए.वाई कार्डों की कुल संख्या क्या है,

रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र सर्कल 64 में विभिन्न श्रेणी के कार्डों की संख्या निम्न प्रकार है—

ए.पी.एल. (अनस्टैम्प्ड)	24,897
ए.ए.वाई	1262
बी.पी.एल.	6701
ए.पी.एल. (जे.आर.सी.)	839
ए.पी.एल. (आर.सी.आर.सी.)	1081
ए.पी.एल. (स्टैम्प्ड)	30702